


नहरों के प्रभारी अधिकारी एवं मुख्यालय

सहायक अभियन्ता	मुख्यालय	जिलेदार	अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय
1. श्री शिशुपाल सिंह, सहायक अभियन्ता प्रथम-9458621634	बुलन्दशहर	रिक्त	श्री रोहित
2. श्री विवेक शर्मा, सहायक अभियन्ता द्वितीय-9839559099	बुलन्दशहर	रिक्त	अधिशासी अभियन्ता
3. श्री ब्रह्मपाल सिंह, सहायक अभियन्ता तृतीय-8279454339	बुलन्दशहर	रिक्त	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10 बुलन्दशहर मो0- 9919653336


अवर अभियन्ता	अनुभाग	उपखण्ड	कार्यक्षेत्र की नहरें
1. श्री रवि शर्मा-8865919566 श्री सलमान-7525902296	परतापुर	प्रथम	ल0शा0 किमी 0.00 से 7.00 तक मा0 बहापुर, मा0 बैनीपुर, रा0 परतापुर, रा0 कुचेसर मा0 अलावास
2. श्री आदेश कुमार-9719264536 श्री सलमान-7525902296	पवसरा	प्रथम	ल0शा0 किमी 7.00 से 14.00 तक, रा0 सैदपुर, मा0 खरकाली, रा0 पवसरा प्रणाली, मा0 चित्तौना, मा0 अलीपुर, मा0 मडौना, मा0 सेगा
3. श्री आशीष चौधरी-9555805999	खानपुर	प्रथम	ल0शा0 किमी 14.00 से 19.600 तक, रा0 खानपुर प्रणाली
4. श्री प्रमोद त्यागी-9536047279	औरंगाबाद	द्वितीय	ल0शा0 प्रणाली किमी 19.600 से 29.000 तक रा0 शिकारपुर, प्रणाली हैड से किमी 15.247 तक मा0 गंगीरी, मा0 बकापुर, मा0 टीकरी, मा0 परवाना एवं मा0 बादशाहपुर, सैदपुर स्केप
5. श्री ओमेन्द्र कुमार-9536659410 कु0 दीपिका-8005139267	शिकारपुर	द्वितीय	रा0 शिकारपुर प्रणाली किमी 15.247 से किमी 30.000 तक, मा0 अडौली, रा0 उटरावली, मा0 धतूरी, मा0 जटपुरा
6. श्री राज किशोर-7351684633	-	द्वितीय	रा0 शिकारपुर प्रणाली किमी 30.000 से टेल तक, रा0 सुरजावली, मा0 सलैमपुर, मा0 आँचरु, मा0 मुकैहरा, मा0 हवेली, मा0 दरगाहपुर
7. श्री भूरा शर्मा-9058789698	जाडौल	द्वितीय	ल0शा0 प्रणाली किमी 29.000 से 34.800 तक, मा0 लखावटी, मा0 श्योरामपुर, रा0 जाडौल प्रणाली, मा0 रामगढ़, मा0 दौलताबाद
8. श्री राजकुमार-9410840301	डिबाई	तृतीय	ल0 शा0 प्रणाली किमी0 34.800 से 41.000 तक राज0 डिबाई प्रणाली
9. श्री अरशद-9045801754 श्री हिमांशु कुमार-7505331510	सरावा	तृतीय	ल0शा0 प्रणाली किमी 41.000 से 52.000 तक, रा0 बालका प्रणाली, रा0 सरावा प्रणाली, मा0 चोंदौक मा0 जौठ मा0 रसूलपुर, मा0 हजरतपुर, मा0 सुखरू
10. श्री राजकुमार-9410840301	अहमदगढ़	तृतीय	ल0शा0 प्रणाली किमी 52.00 से 63.940 तक, रा0 अहमदगढ़ प्रणाली, मा0 हजरतपुर, मा0 रसूलपुर, मा0 डोमला, मा0 मुरादपुर, मा0 सैदगढ़ी

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश
!! सिंचनेन समुद्रि भवति !!
नहरों का गानचिना (ट्री डायग्राम)



मध्य गंगा नहर परियोजना, अलीगढ़
मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल-प्रथम, ग्रेटर
सीच सेक्टर खरीफ 1432 फ0 वर्ष 2024 - 2025

कार्यालय : **अधिशासी अभियन्ता**
05732-259262 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10
बुलन्दशहर



कृषकों हेतु सूचनायें

विकासन भाइयो! क्या आप जानते हैं :

- फसल को आवश्यकता से अधिक पानी देने पर कम उपज होती है।
- कुलाबों की गुल ठीक दशा में न होने पर उसमें पानी देना बन्द किया जा सकता है।
- यदि किसी खेत का कुछ भाग सींचा गया हो और बाकी भाग 15 सेमी0 ऊँची धूप से अलग न किया जाये खेत पर सींच कर लगेगा।
- शाकिल बरहा : किसी नहर का पानी किसी खेत में गया हो और उसकी गुल में निगी साधन से सींच की गई हो तो नहर सिंचाई का सींच कर लगेगा। यदि पूरी फसल नहर का पानी न लेना हो तो अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग को फसल आरम्भ होने से पूर्व ही लिखित रूप में दे दें। इस अवस्था में शाकिल बरहा नहीं होगा। परन्तु इसके बाद नहर से पानी लिया गया हो तो सिंचाई कर का धार युग दण्ड तथा सिंचाई कर अतिरिक्त लगेगा।
- तावान : यदि किसी खेत की सिंचाई अवैधनिक ढंग से की गई हो तो सींचकर के अतिरिक्त धार युग तक कर लगाया जायेगा।
- आवजाया : यदि नहर का पानी बिना बोये खेत में फैलता है तथा गहराई 15 सेमी0 से अधिक हो तो दुगना, यदि 30 सेमी0 से अधिक हो तो तीन गुना सींच कर जो उस फसल के लिए सबसे अधिक दर का होगा, लगेगा।
- सिंचाई कर में छूट : कृषि आपदा, जैसे ओला, पाला हिंडूरी, माहू, आदि से फसल नष्ट हो जाय तो 50 प्रतिशत से कम पर, कुछ नहीं, 50 प्रति से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम पर आया तथा 75 प्रतिशत से अधिक पर पूर्ण छूट सींच कर में देय है।
- गलत इन्वॉयस : अतिरिक्त खेत यदि सिंचित किया हो तो पर्याप्त वितरण के 21 दिन के अन्दर, यदि इन सींच को तीव्र तथा गलत विन्स अतिरिक्त हो तो 30 दिन के अन्दर प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/डीआरओ/जिलेदार में से किसी एक को देना चाहिए अन्यथा कथन अमान्य होगा। ध्यान रहे कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के 15 दिन के अन्दर फसल न काटे।

नहर से सम्बन्धित समस्या हेतु निम्न से सम्पर्क करें :-

- अधीक्षण अभियन्ता : नये कुलाबों की मींग, कमाण्ड विमानन, दहन तथा स्थान परिवर्तन, नई नहरों तथा नलों का निर्माण एवं तावान के विन्दू अपील।
- अधिशासी अभियन्ता : नहरों का संभालन, नहरों सम्बन्धित की नीलामी एवं मींग का प्रतिरत एवं खाँदी एवं तावान।
- सहायक अभियन्ता : कुलाबों के स्थान एवं दहन की सुटि, पानी की मींग, नहरों की देतों पर पानी की कमी एवं नहर तथा नलों की सफाई।
- उपखण्ड अधिकारी : गलत इन्वॉयस, फसल सोखना, मिसमारी गुल।
- अवर अभियन्ता : देतों पर पानी की कमी, खाँदी कोटिंग, नहर तथा नलों की सफाई तथा कुलाबों को सही ढंग से लगाना।
- अन्य क्या करें :
- 1) सिंचाई से पूर्व गुलों की सफाई करें।
 - 2) पानी उचित गहराई में ही लगायें।
 - 3) पानी लगाने के बाद कुलाबा बन्द करें
 - 4) पानी न मिलने पर अथवा नहरों कोटिंग/खाँदी होने पर अवर अभियन्ता, सींचपाल अथवा जिलेदार को सूचित करें।
- (ब) नहर न काटे, बंध न लगायें, कुलाबों के स्थान परिवर्तन न करें, नहर की सड़क पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर या ट्रक बिना पूर्व अनुमति के न ले जायें, यह कडक नियम है।
- (स) समस्याओं के निवारण हेतु : प्रत्येक माह की 10 व 20 तारीख को सम्बन्धित जिलेदारी कार्यालय मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर पर सींच पदवेक्षक/सींचपाल एवं जिलेदार से व सहायक अभियन्ता एवम् अधिशासी अभियन्ता से प्रत्येक कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।